



संयुक्त राष्ट्र महासागरीय जैविक विविधता संधि पर हस्ताक्षर करेगा

प्रलिमिंस के लिये:

वशिष आर्थिक क्षेत्र, UNCLOS

मेन्स के लिये:

उच्च समुद्र में समुद्री संरक्षण

चर्चा में क्यों?


हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र](#) ने उच्च समुद्रों में समुद्री विविधता के संरक्षण के लिये महासागर की जैविक विविधता पर पहली संधि का मसौदा तैयार करने के लिये अंतर-सरकारी सम्मेलन का आयोजन किया।

- यह सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था।
- इन क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर वर्ष 1982 के [संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय \(UNCLOS\)](#) के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने के लिये वर्ष 2018 में सम्मेलनों की एक शृंखला शुरू की गई थी।

नई संधि

- संधि समुद्र के उन क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को संबोधित करेगी जो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सीमा से परे हैं।
- यह समझौता उन **कंपनियों के अधिकारों पर नरिणय करेगा जो समुद्र में जैविक संसाधनों की खोज** का काम करती हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रगतिके साथ, कई कंपनियाँ वदेशी सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों में संभावनाएँ तलाश रही हैं, इनमें से कई अज्ञात हैं जो गहरे समुद्र में रहते हैं और दवाओं के टीकों और वभिन्न प्रकार के वाणज्यिक अनुप्रयोगों के लिये इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- चूँकि समुद्री जीवन पहले से ही औद्योगिक स्तर पर मत्स्य उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और अन्य नषिकरण उद्योगों के प्रभाव से जूझ रहा है, इसलिये यह संधि महासागरों की सुरक्षा का एक प्रयास है।

उच्च समुद्र:



- देश अपनी तटरेखाओं तक 200 समुद्री मील (370 किलोमीटर) के भीतर समुद्री सीमा में सुरक्षा या दोहन कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन 'वर्षिष आर्थिक क्षेत्र' के बाहर का सारा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र उच्च समुद्र माना जाता है।
- उच्च समुद्र पृथ्वी के महासागरों का दो-तर्हिई हसिसा बनाते हैं जो जीवन के लयि उपलब्ध आवास का 90 प्रतिशत प्रदान करते हैं और मत्स्य पालन में प्रता वर्ष 16 बलियन अमेरीकी डॉलर तक का योगदान करते हैं।
- ये मूल्यवान खनजि, फार्मास्यूटिकल्स, तेल और गैस भंडार की खोज के लयि भी प्रमुख क्षेत्र हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कानून चार ग्लोबल कॉमन्स की पहचान करता है:
 - उच्च समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष।
 - ग्लोबल कॉमन्स उन संसाधन क्षेत्र को संदर्भित करता है जो किसी एक राष्ट्र की राजनीतिक पहुँच से बाहर हैं।

वर्तमान में उच्च समुद्र का वनियमन:

- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) समुद्र तल खनन और केबल बछिाने सहति अंतरराष्ट्रीय जल में गतविधियों को नयित्तरति करता है।
- यह समुद्र और उसके संसाधनों के उपयोग के लयि नयिम नरिधारति करता है, लेकिन यह नरिदषि्ट नहीं करता है कि राज्यों को उच्च समुद्र जैविक वविधिता का संरक्षण एवं स्थायी रूप से कैसे उपयोग करना चाहयि।
- महासागरों में जैव वविधिता की रक्षा या संवेदनशील पारस्थितिकि तंत्र के संरक्षण के लयि कोई व्यापक संधि भौजूद नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

- 'लॉ ऑफ द सी ट्रीटी' को औपचारिक रूप से [समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCLOS\)](#) के रूप में जाना जाता है, जसि वर्ष 1982 में महासागर क्षेत्रों पर अधिकार सीमा नरिधारति करने के लयि अपनाया गया था।
- सम्मेलन आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्र सीमा के रूप में और 200 समुद्री मील की दूरी को वर्शिषि्ट आर्थिक क्षेत्र सीमा के रूप में परभाषति करता है।
- यह वकिसति देशों से अवकिसति देशों को प्रौद्योगिकी और धन हस्तांतरण तथा समुद्री प्रदूषण को नयित्तरति करने के लयि पारटियों को नयिमों और कानूनों को लागू करने का प्रावधान करता है।
- भारत ने वर्ष 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर कयि।
- UNCLOS ने तीन नए संस्थान:
 - समुद्री कानून के लयि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण:** यह एक स्वतंत्र न्यायिक नकिय है जसिकी स्थापना UNCLOS द्वारा अभसिमय से उत्पन्न होने वाले वविदों को सुलझाने के लयि की गई है।
 - अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण:** यह महासागरों के समुद्री नरिजीव संसाधनों की खोज और दोहन को वनियमति करने के लयि स्थापति एक संयुक्त राष्ट्र नकिय है।
 - महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग:** यह 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं की स्थापना के संबंध में समुद्री कानून (अभसिमय) पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय के कार्यान्वयन की सुवधि प्रदान करता है।

स्रोत: द हद्वि

